

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.
 - क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस-ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि०मी० पत्रावली में संलग्न है
 - ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

35.91 लाख
इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भूमि का चयन किया गया भूमि की उपलब्धता के कारण वैकल्पिक स्थल निरस्त किया गया।
 - ग) परियोजना की लागत।

लागू नहीं
 - घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

फल, सब्जी, दूध एवं अनेक रोजगार।
 - ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)
 - च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

1. आरक्षित भूमि	—	शून्य है०
2. वन पंचायत भूमि	—	1.350 है०
3. सिविल सोयम भूमि	—	1.463 है०
2. नाप भूमि	—	1.463 है०
कुल भूमि	—	9.000 है०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।

 - क) परिवारों की संख्या

शून्य
 - ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

शून्य
 - ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

लागू नहीं है।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)

नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके

संलग्न है।

अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान- अल्मोड़ा।


(डॉ० विजय कुमार)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)